

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

विषय :- Construcation of B.T Road from Mamli Laxmipura to
patpadi 1.14ha FP\RJ\ROAD 7127\2014 of Forest land
for upgradaiton Road In Baran Forest Division

संदर्भ :-वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नाहरगढ क्षेत्र में मामली-लक्ष्मीपुरा से पटपडी के मध्य रोड परियोजना में चेनेज 0/810 से 1/950 तक वन क्षेत्र होने के कारण 1.14है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये दिनांक 13.09.2014 का ऑनलाइन आवेदन किया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त परियोजना के तहत प्रस्तावित रोड के गैर वन क्षेत्र में रोड निर्माण का कार्य जुलाई 2015 में कर लिया गया था। वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सक्षम स्वीकृती प्राप्त नहीं होने पर भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 के बीच वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर 1.14है0 वन भूमि में सडक निर्माण कार्य करवा दिया गया है । जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कि धारा 3 बी के उल्लंघन की श्रेणी में आता है

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 29.01.2018 से जारी दिशा निर्देशो के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3 बी के उल्लंघन के फल स्वरूप उल्लंघनकर्ता एजेंन्सी से जनहित की योजनाओं में अन्तिम स्वीकृति जारी होने तक प्रत्येक वर्ष हेतु एन.पी.वी. की राशि 20 प्रतिशत अधिकतम 5 वर्षों तक लिया जाने का प्रावधान है । चूंकि प्रकरण में अभी तक सैद्धान्तिक स्वीकृति भी जारी नहीं हुई है। अतः प्रस्तावित 1.14 है0 वन भूमि हेतु दुगुनी एन.पी.वी. की राशि प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली योग्य है तथा प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारी जो कि उक्त उल्लंघन के समय पद स्थापित थे के विरुद्ध राज्य सरकार स्तर से जांच अपेक्षित है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के समय पदस्थापित अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं.	पद नाम	पदस्थापित अधिकारियों का नाम	वर्तमान पद स्थापन
1	विभागाध्यक्ष	श्री ए.के. गुप्ता	सेवानिवृत
2	अधीक्षण अभियन्ता	श्री सुनील माथुर	सेवानिवृत
3	अधीषाशी अभियन्ता	श्री एच.पी.मीणा	अधीषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. सर्वे एवं गुण नियन्त्रण खण्ड बारां
4	सहायक अभियन्ता	श्री बसन्त कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड केलवाड़ा
5	कनिष्ठ अभियन्ता	रिक्त पद	-

(राजीव कपूर)
राज्य वन संरक्षक

Full Title of the Project: Mamli Laxmipura to Patpadi 1.14 ha FP/RJ/ROAD/7127/2014
OF Forest land for upgradation Road in BARAN forest DIVISION.

File No. FP/RJ/Road/7127/2014

Date of Proposal: 04.09.2014

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 16

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer P.W.D Shahabad Baran for diversion (under FCA-1980) of 1.14 ha. of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for Road from Mamli Laxmipura to Patpadi . The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 05-03-2020.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a forest measuring 1.14 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.


Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof.-NO

Whether any protected archaeological/ heritage site/ defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.-NO

(a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. No

(b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions.-yes

(c) A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached).


(राजीव कपूर)
(Rajeev Kapoor)
Dy. Conservator of forest
Baran